बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक रोड नं०-2, पटना-800001

पत्रांकः-02:15:36(अधि0)/2017- 2999 दिनांक- 27/03/18

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक,(अधिप्राप्ति)
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
कैमूर।

विषयः- **खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत सी०एम०आर० भंडारण हेतु गोदाम अधिसूचित करने के संबंध में।**

महाशय्

निदेशानुसार कहना है कि खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 अन्तर्गत पंजीकृत किसानों से पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा धान कय करने की अंतिम तिथि दिनांक-31.03.2018 एवं सी०एम०आर० जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक-31.07.2018 निर्धारित है।

उल्लेखनीय है कि प्राप्त प्रतिवेदनानुसार कैमूर जिला में अद्यतन (दिनांक- 23.03.2018 तक) पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा किसानों से कुल 110958.28 मे०टन धान (74%) कय किया गया है जिसके समतुल्य 74342.04 मे०टन सी०एम०आ०र के विरुद्ध 40203.00 मे०टन सी०एम०आर० (54%) जमा किया गया है।

विदित हो कि निगम मुख्यालय के पत्रांक 12220 दिनांक-02.012.2017 से कैमूर जिला हेतु अधिसूचित आठ गोदाम के अतिरिक्त आप से विभिन्न पत्रों यथा पत्रांक-24 दिनांक-06.01.2018, 30 दिनांक-10.01.2018, 189 दिनांक-06.02.2018, 266 दिनांक-13.02.2018, 407 दिनांक-24.02.2018, 468 दिनांक-07.03.2018, 495 दिनांक-12.03.2018, 568 दिनांक-20.03.2018 एवं जिला पदाधिकारी कैमूर का पत्रांक-156 दिनांक-20.02.2018 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अतिरिक्त 10 गोदाम अर्थात् कुल अद्यतन 18 गोदाम अभी तक अधिसूचित किया जा चुका है, जिसका कुल भंडारण क्षमता 59000 मे०टन है।

उल्लेख्य है कि कय धान के समतुल्य सी०एम०आर० के विरुद्ध मात्र अभी तक 40203.00 मे०टन ही सी०एम०आर० (54%) की प्राप्ति किया जा सका है जबकि कुल 59000 मे०टन क्षमताधारक 18 गोदाम अधिसूचित किया जा चुका है। अधिक मात्रा में कम भंडारण क्षमता के छोटे-छोटे गोदामों को अधिसूचित करने से उसके पर्यवेक्षण में कमी होने की संभावना है, जिससे भविष्य में अनियमितता हो सकती है।

यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि निगम मुख्यालय का पत्रांक-578 दिनांक-17.01.2018 से आपको स्पष्टतः निदेशित किया गया है कि सी०एम०आर० का भंडारण एवं निर्गमन "प्रथम आगत-प्रथम निर्गत" सिद्धांत पर आधारित होकर किया जायेगा। सी०एम०आर० संग्रहण केन्द्र पर एक से अधिक गोदाम होने कि स्थिति में सर्वप्रथम प्रथम गोदाम में सी०एम०आर० प्राप्त किया जायेगा। पुरा गोदाम भर जाने का उपरांत कमवार दुसरा गोदाम उपयोग किया जायेगा एवं सी०एम०आर० का निर्गमन प्रथम गोदाम से किया जायेगा ताकि किसी भी परिस्थिति में एक ही समय एवं एक ही दिन एक गोदाम से साथ-साथ प्राप्ति एवं निर्गमन नहीं हो एवं ना ही किसी प्रकार कि अनियमितता की संभवाना बनी रहें। अधिसूचित नीजी गोदामों/सी०एम०आर० संग्रहण केन्द्रों का उपयोग बिना स्वतंत्र सहायक प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक के नहीं किया जायगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि आपके जिला में प्राप्त हो रहे सी०एम०आर० की मात्रा की तुलना में सी०एम०आर० भंडारण हेतु अपेक्षाकृत पर्याप्त संख्या में अधिसूचित सी०एम०आर० गोदाम में मुख्यालय के आदेश का अनुपालन करते हुए भंडारण एवं निर्गमन करना सुनिश्चित किया जाय ताकि चकानुकम में सी०एम०आर० की अधिकाधिक मात्रा की प्राप्ति निर्धारित समय सीमान्तर्गत सुनिश्चित हो सके।

यदि और गोदाम कि आवश्यकता महसूस की जा रही है तो जिला पदाधिकारी के माध्यम से व्यावहारिक कारण दर्शाते हुए अनुरोध की जाय जिससे ससमय गोदाम अधिसूचित करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन
26/3
मुख्य महाप्रबंधक, (अधिप्राप्ति)

ज्ञापांकः-02:15:36(अधि0)/2017- 2999 दिनांक, 27/03/18

प्रतिलिपिः-जिला पदाधिकारी, कैमूर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने स्तर से भी इसकी समीक्षा करने की कृपा की जाय एवं अधिसूचित नीजी गोदामों में बिना स्वतंत्र सहायक प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक के सी०एम०आर० की प्राप्ति एवं भंडारण नहीं किया जाय।

26/3
मुख्य महाप्रबंधक, (अधिप्राप्ति)

M.K. part-2